फर्द अहकाम

सज्जु बनाम कैलाशचन्द व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर

संख्या 71 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
04/04/25	आज दिनांक 04/04/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/~~अवकाश पर~~ है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/04/25 को पेश हों।	
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। गत आदेशानुसार पालनार्थ तलबी प्रतिवादी-1, प्रार्थना पत्र कायम मुकाम प्रतिवादी-4, प्राप्ति रिपोर्ट रजि. नोटिस प्रतिवादीगण 06, 08, 10, 11, 12 प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 5, 9 की ओर से प्रार्थनापत्र धारा 151 बाबत वादी द्वारा भूमि वादग्रस्त में अपने सम्पूर्ण अधिकारिक हिस्से का विक्रय (प्रतिवादी-3 को) कर दिये जाने से वादी का कोई वाद हेतुक विवादक शेष नहीं रहने से वाद वादी प्रभावशून्य होने के आधार पर खारिज किये जाने के पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति अधिवक्ता वादी (अप्रार्थी) को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थनापत्र धारा 151 व अग्रिम कार्यवाही पूर्वानुसार दिनांक 24/04/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
24/04/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] प्रतिवादीगण उपस्थित [illegible] मय अधिवक्ता [illegible] ओर से गत आदेशानुसार पालनार्थ तलबी प्रतिवादी-1, प्रार्थनापत्र कायम मुकाम प्रतिवादी-4, प्राप्ति रिपोर्ट	P.T.O.

[signature]
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:52:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

संजू बनाम कैलाशचन्द व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 71/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	24/04/25	रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादीगण 06, 08, 10, 11, 12 की तथा जवाब प्रार्थनापत्र धारा 151 बाबत वाद अब सारहीन होने से खारिज किये जाने (पूर्वानुसार) का भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी की बहस प्रार्थनापत्र धारा 151 बाबत वाद सारहीन होने (विक्रय उपरान्त) से खारिज किए जाने पर सुनी गई। प्रार्थी प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादी की ओर से वाके ग्राम लदाना तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 404/211, 405/211, 406/211 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 3.29 हे० के विधिक विभाजन (हिस्सानुसार) बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि में वादी का कुल 5/56 हिस्सा निहित/दर्ज अंकित है। वादी द्वारा अपना उक्त सम्पूर्ण भूमि हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24/03/25 के प्रतिवादी सं. 3 को किया जा चुका है। जिसका विधिवत पंजीकरण दिनांक 26/03/25 को पंजीबद्ध कर दिया गया है। उक्त संदर्भ में पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा प्रति भी अधिवक्ता वादी [illegible] दिलाई गई है। प्रस्तुत [illegible] पर संदेह [illegible] प्रार्थी वादी [illegible] विक्रय पत्र [illegible] खंडन भी प्रस्तुत किया गया। जिससे भूमि विक्रय कर दिये जाने से अब वादी को कोई वाद हेतुक/विवादक वाद के प्रति शेष नहीं रहा है। अतः वाद वादी अब सारहीन व प्रभावहीन होने से खारिज फरमाया जावे। P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:52:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

संजू बनाम कैलाशचन्द व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

71/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
24/4/25	हमने प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25/3/25 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि, जो कि निर्विरोध तथ्य है, कि वादी द्वारा भूमि वादग्रस्त में अपने निहित सम्पूर्ण हिस्से का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के कर दिया गया है। जिससे भूमि वादग्रस्त में वादी का अब कोई हक अधिकार/हिस्सा/हित/अनुतोष शेष नहीं रहा है। ना ही वादी की ओर से उक्त संदर्भ में कोई तथ्य/खंडन बावजूद जानकारी के प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी अब सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर